



CONSAM-GENERAL NOTICE

नोटिस संख्या० :CONSAM-GNR-NOTICE/ 21 / 339 / 03 .

दिनांक० 05 / 03 / 2022 .

श्रीमान् माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के निर्णयानुसार/आदेशानुसार आपको सूचित किया जाता है की:

विषय: मे० हिमालय एगो की एन०पी०के० विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र/अनुज्ञप्ति के दिनांक 10-MAR-2024 तक वैध (Valid) होने के संबंध में.

प्रिय फर्टीलाइज़र डीलरगण,

उपरोक्त विषयक कहना है की:

1. एतद्वारा यह सूचित किया जाता है की कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 2640, दिनांक 01-NOV-2021 (संलग्न ANX-1) के आलोक में हमारी एन०पी०के० विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र/अनुज्ञप्ति (संलग्न ANX-2 से ANX-3) दिनांक 10-MAR-2022 की जगह दिनांक 10-MAR-2024 तक वैध (Valid) है.
2. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 2640, दिनांक 01-NOV-2021 के आलोक में हमारी एन०पी०के० विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र/अनुज्ञप्ति के दिनांक 10-MAR-2022 की जगह दिनांक 10-MAR-2024 तक वैध (Valid) होने के आलोक में निम्नलिखित अतिरिक्त विश्लेषण/नोटिंग/सूचना है:
 - a. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 2640, दिनांक 01-NOV-2021 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है की "उर्वरक प्रतिष्ठान जिनकी अनुज्ञप्ति 25.09.2019 के पूर्व निर्गत है एवं (राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय) अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि दिनांक 25.09.2019 के पश्चात समाप्त हुई है अथवा होने वाली है, उन अनुज्ञप्तियों में अंकित वैधता 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए मान्य समझी जाएगी! उदाहरण स्वरूप - यदि किसी प्रतिष्ठान को तीन वर्ष हेतु अनुज्ञप्ति दी गई तथा उसकी वैधता 30.03.20 को समाप्त हो रही है तो उसे दो वर्ष अतिरिक्त अथवा 30.03.2022 तक के लिए वैध माना जायेगा!"
 - b. इस प्रकार हमारी दोनों ही अनुज्ञप्तियां, दिनांक 25.09.2019 के पूर्व निर्गत है (जैसा की संलग्न अनुज्ञप्तियों से स्पष्ट है) एवं 25.09.2019 के पश्चात (अर्थात दिनांक 03-MAR-2022) को समाप्त होने वाली है (जैसा की संलग्न अनुज्ञप्तियों से स्पष्ट है) एवं तदनुसार उक्त अब कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 2640, दिनांक 01-NOV-2021 के अनुसार दिनांक 10-MAR-2024 तक के लिए वैध (Valid) है.





CONSAM-GENERAL NOTICE

नोटिस संख्या० : CONSAM-GNR-NOTICE/ 21 / 339 / 03 .

दिनांक० 05 / 03 / 2022 .

श्रीमान् माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के निर्णयानुसार/आदेशानुसार आपको सूचित किया जाता है की:

- c. उल्लेखनीय है की कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 2640, दिनांक 01-NOV-2021 में स्पष्टता के आलोक में कई उदाहरण दिए गए हैं लेकिन यह नहीं लिखा हुआ है की उक्त आदेश किस अनुज्ञप्ति, विनिर्माण (Manufacturing) एवं विपणन (Sale/marketing) पर लागू है जिससे यह स्पष्ट है की उक्त आदेश सभी अनुज्ञप्तियों पर लागू है.
- d. उल्लेखनीय है की कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 2640, दिनांक 01-NOV-2021 में स्पष्टता के आलोक में कई उदाहरण दिए गए हैं लेकिन यह नहीं लिखा हुआ है की यह किस फर्टीलाइजर (अर्थात DAP, Urea, Potash, Granulated Mixed NPK Fertilizers) पर लागू है जिससे यह स्पष्ट है की उक्त आदेश Granulated Mixed NPK Fertilizers से सम्बंधित अनुज्ञप्तियों पर भी लागू है.
- e. उल्लेखनीय है की सावधानी बरतते हुए हमारे द्वारा agridbtcell@gmail.com, diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com, fertilizer.bihar@gmail.com नामक इ-मेल जो कृषि विभाग, बिहार (पटना) के अधिसूचित इ-मेल हैं पर हमारे अनुज्ञप्तियों के कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 2640, दिनांक 01-NOV-2021 के आलोक में दिनांक 10-MAR-2024 तक वैधता हेतु भी लिखी गई है (Internal ref: CIL-INC-DOC.21.339.01).

सधन्यवाद!

प्रेषक:

रीषु म्ता

Rishu

(हस्ताक्षर)



05-MAR-2022



कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।



द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015

दूरभाष :- 0612-2215895, वेबसाइट- krishi.bih.nic.in ई-मेल- diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com.

संचिका/पत्र सं०-उ०को०(विविध)-०१ | 2013-2646 कृ०, पटना, दिनांक- ०६.११.२०२१
कार्यालय आदेश

भारत सरकार के राजपत्र सं०-3141 दिनांक-25.09.2019 द्वारा उर्वरक अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की गई है। भारत सरकार के उपर्युक्त राजपत्र के आलोक में उर्वरक प्रतिष्ठान जिनकी अनुज्ञप्ति 25.09.2019 के पूर्व निर्गत है एवं (राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय) अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि दिनांक 25.09.2019 के पश्चात् समाप्त हुई है अथवा होने वाली है, उन अनुज्ञप्तियों में अंकित वैधता तिथि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए मान्य समझी जायेगी। उदाहरण स्वरूप-यदि किसी प्रतिष्ठान को तीन वर्ष हेतु अनुज्ञप्ति दी गई तथा उसकी वैधता 30.03.2020 को समाप्त हो रही है तो उसे दो वर्ष अतिरिक्त अथवा 30.03.2022 तक के लिए वैध माना जायेगा।

2. दिनांक 25.09.2019 के बाद निर्गत अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि 5 वर्ष होने के मद्देनजर उन अनुज्ञप्तियों की वैधता तिथि वही होगी जो अनुज्ञप्ति में अंकित है।

3. पाँच(5) वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् वैधता तिथि समाप्त होने पर प्रतिष्ठान/संस्था द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा।

4. अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु अस्वीकृत आवेदनों एवं रद्द अनुज्ञप्ति के मामलों में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

5. उर्वरक अनुज्ञप्ति से संबंधित अन्य शर्तें उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं अन्य प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार होगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

29/10/2021
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।



ANX-1 of CONSAM-GINR-NOTICE/21/339/03

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}



Letter No- 30 को०/ अज० - 16/09 (खंड-1) 316 /Agri., Patna, Dated 20/05/2019
Received from M/s Himalaya Agro Chemicals Pvt. Ltd. Forbesganj Araria a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 1059 Dated 11-03-2019 deposited in State Bank of India, Bailey Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for, (as mentioned in table below), till 10-03-2022 unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
Date.....

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 87(R)

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Himalaya Agro Chemicals Pvt. Ltd. Style-Wholesale Dealer	1-Ranigang Road, Forbesganj, Dist- Araria, Bihar, 2 Unit-2, N.H.-31, Bye pass Road, Distt- Purnea, Bihar.	1-Ranigang Road, Forbesganj, Dist- Araria, Bihar, 2 Unit-2, N.H.-31, Bye pass Road, Distt- Purnea, Bihar.	Bihar Grade NPK Mixture 18:18:06 12:12:12 15:15:7.5	Self Manufactured.

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Mr. Kumar Krishna Prasad

M/s Himalaya Agro Chemicals Pvt. Ltd.

Alias Shayam Goyal, Raniganj Road, Forbesganj, Araria

3
15.05.19
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

ANX-2 of CONSAM-GNR-NOTICE/21/339/03





EMBLEM
FORM 'F'

[See clause 15(2) and 18 (2)]

324

Sl. No. :

Certificate No. 129(R)

Book No. : V

Date of Issue 24.10.2011

Valid up to 11.03.2019

**Certificate of Manufacture in Respect of
Physical/Granulated Mixture/Organic Fertilizer/Bio-Fertilizer**

M/s Himalaya Agro chemicals Pvt. Ltd. Ramiganj Road, Forbesganj, Araria

(Name of Manufacturer) is hereby given the certificate for manufacture of the physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer specified below subject to the terms and conditions of this certificate and to the provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985.

Full Particulars of the granulated/physical mixture of fertilizers. organic fertilizer/bio fertilizer

Date : Bihar Grade NPK mixture

1. 18.11.06

2. 12.12.12

Seal : 3. 15.15.15

(Specification as per notification)
No. - 617 dated 04.05.2010

Full address of the premises where the mixture of fertilizer or mixture of micronutrient fertilizers. Fertilizer/bio fertilizer will be made.

- 1. Ramiganj Road, Forbesganj, Araria, Pincode - 854318, Bihar
- 2. NH 31, Bye Pass Road, Patna, Bihar

Registering Authority :

State : Bihar

Renewed up to : 10.03.2022

Date : 20/05/2019

Registering Authority :

15.05.19

Seal :

State : Bihar

DIRECTOR OF AGRICULTURE

BIHAR

REGISTRATION AND CONTROL DIVISION

Terms and conditions of this certificate

- (1) The holder of this certificate shall display the original thereof in a conspicuous place open to the public in a part of the principal's premises in which business of making the physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer is carried on and also a copy of such certificate in similar manner in every other premises in which that business is carried on. The required number of copies of the certificate shall be obtained on payment of the fees thereof.
The holder of this certificate shall not keep in the premises in which he carries on the business of making physical/granulated mixture of bio fertilizers/organic fertilizer in respect of which a certificate of registration has not been obtained under the Fertilizer (Control) Order, 1985.
The holder of this certificate shall comply with the provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and the notification, order and direction, issued there-under for the time being in force.
The holder of the certificate shall report forth with to the Registering Authority any emerge in the premises specified in the certificate or any new premises in which carried on the business of making physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer and shall produced before the authority the original certificate and copies thereof show that necessary correction may be made therein by that authority.
- (5) The holder of the certificate shall insure that the physical/granulated mixture/ organic fertilizer/ bio fertilizer in respect of which a certificate of registration has been obtained his prepared by him or by a person having such qualification as may be prescribed by the State Government from time to time or by any other person under the direction, supervision and control of the holder or the person having the said qualifications.
- (6) The certificate and copies thereof if any, will be machine numbered and delivered against the signature of the holder thereof or his agent on the Carbon copy of the certificate which will be kept intact bound in the certificate book by each Registering Authority.



Original: C-FILE/09/0005

ANX-3 of CONSAM-GNR-NOTICE/21/339/03